प्रेस नोट
जनपद-संतकबीरनगर
दिनाँक 29.08.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में ''ऑपरेशन कन्विक्शन''अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 28.08.2025 को मा0 न्यायालय– सी0जे0(एड0डी0) ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

विवरणः-

अ0सं0 04/2014 धारा 323 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त नाम पता सुनीता देवी पत्नी संतराम निवासी ढोढ़या थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को दोषसिद्ध के आधार पर धारा 323 भादवि में 500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का सादा कारावास, धारा-325 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 325/2025 धारा 87, 137(2), 352, 351(3) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(5ए), 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीर नगर के मामले में वांछित बाल अपचारी को कस्बा बखिरा के नगर पंचायत कार्यालय के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 28.08.2025 को थाना बखिरा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री को उपरोक्त बाल अपचारी द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 29.08.2025 को उक्त बाल अपचारी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – प्र0नि0 राकेश कुमार सिंह, हे0का0 अरविन्द तिवारी, का0 शिवशंकर यादव।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर सड़क किनारे से हटवाया गया अतिक्रमण, लोगो को किया गया जागरुक

आज दिनाँक 29.08.2025 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी यातायात ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी यातायात ***श्री परमहंस*** द्वारा मेहदावल बाईपास, मधुकुंज, मुखलिसपुर तिराहा, सरैया बाईपास आदि जगह पर यातायात व्यवस्था सुधार करने के लिए अभियान चला कर अतिक्रमण हटवाया गया तथा साइन बोर्ड, बैरियर ड्यूटी आदि लगाकर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे जनमानस को आवागमन में कोई बाधा न उत्पन्न हो और यातायात सामान्य चल सके।

आम जनमानस को यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड से न चलाने के साथ लोगों से अपील भी किया गया कि वे अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए प्रधान पुत्र के ऊपर जानलेवा हमला करने के मामले में एक और वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा ***श्री राकेश कुमार सिंह*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 273/2025 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/352/351(3)/115(2)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बखिरा में वांछित अभियुक्त नाम पता राहुल सिंह उर्फ भूपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह साकिन सिहटीकर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 29.08.2025 को सिहटीकर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 16.07.2025 को वादी श्री देवेन्द्र यादव पुत्र विद्याधर यादव निवासी करैली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनाँक 16.07.2025 को जब वादी तिघरा ब्लाक पर थे उसी समय उक्त अभियुक्तों ने अपने साथियों के साथ मिलकर ने वादी को गाली दिया व मारा पीटा तथा जान से मारने की नीयत से पिस्टल से वादी के उपर फायर किया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 273/2025 धारा 191(2), 191(3), 109, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त घटना से संबंधित 02 अभियुक्तों 01. शिवम पाठक उर्फ बन्टी पाठक पुत्र सतीश चन्द्र पाठक उर्फ मोनू निवासी सिहटीकर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 02. अमन पाल पुत्र रामानन्द पाल निवासी लखनापार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 27.07.2025 को जेल भेजा गया तथा दिनांक 29.07.2025 को अन्य वांछित अभियुक्त अनुराग सिंह उर्फ डान पुत्र विजय सिंह उर्फ रिखई साकिन सिहटीकर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया था। गिरफ्तारी बरामदगी के क्रम में आज दिनांक 29.08.2025 को राहुल सिंह उर्फ भूपेन्द्र प्रताप

सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह साकिन सिहटीकर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त नाम पता- राहुल सिंह उर्फ भूपेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह साकिन सिहटीकर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह, का0 बाल गोविन्द गौड़ व का0 प्रवेश यादव।

दबिश के दौरान 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में -

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 01. जगराम पुत्र परमेश्वर 02. इलायची देवी पत्नी जगराम निवासीगण सेमरियावां टोला ककरहवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 03. शीला सोनी पत्नी हरिशंकर सोनी 04. हरिशंकर सोनी पुत्र श्यामसुन्दर सोनी निवासीगण सेहुड़ा, बाघनगर थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री आजम अंसारी, हे0का0 अरविन्द यादव, का0 भीम कुमार, का0 राधेश्याम गिरि, का0 रंजन कुमार, म0का0 आरती सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5998 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5998 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत दुर्गा मंदिर, मगहर से कालर द्वारा पैदल जा रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन द्वारा पीछे से ठोकर लग जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.चुन्नीलाल पुत्र जीरा सा0 आजाद नगर वार्ड नं0-9 थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 शशिभानु मणि त्रिपाठी, आ0 मनीष कुमार सिंह, हो0चा0 संजय चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 212 वाहनों से 2,22,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 29.08.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 212 वाहनों से 2,22,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

लूट की झूठी सूचना देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया अभियोग

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की जाँच/विवेचना में झूठी निकली लूट की सूचना

झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व सहयोग करने वालों लोगों पर होती रहेगी कार्यवाही: एस पी

घटना का विवरण - वादी जितेन्द्र चौधरी पुत्र रामचेत चौधरी निवासी बेल्डुहा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 02.08.2025 को समय 16.00 बजे डायल 112 पर ***सूचना दिया गया कि दिन में लगभग 01 बजे संदीप ज्वेलर्स गिठनी बाजार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से कुछ ज्वेलरी लेकर घर आ रहे थे कि ग्राम ककरही, खोझवा के बीच में शारदा देवी इण्टर कालेज के पास घात लगाकर पीछा करते हुए जान से मारने की नीयत से संजय चौधरी पुत्र साधुशरण चौधरी निवासी बेल्डुहा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर व सत्येन्द्र यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी अज्ञात तथा 02 व्यक्ति अज्ञात द्वारा वादी मुकदमा के पेट पर चाकू से प्रहार कर दिया गया तथा ज्वेलरी व 12 हजार रु0 छीन लिए गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 715/2025 धारा 309(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 मनीष कुमार जायसवाल द्वारा की जा रही थी* ।**

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में जाँच विवेचना के दौरान पाया कि वादी मुकदमा व आरोपीगण के मध्य पूर्व से जमीनी विवाद में हत्या के मामलें में पुरानी रंजिश है। दौरान विवेचना वादी मुकदमा द्वारा जिस घटनास्थल पर घटना होना बताया गया वहाँ स्वतन्त्र गवाहों के बयान से स्पष्ट हुआ कि कोई घटना घटित नही हुई तथा वादी मुकदमा द्वारा स्वयं दो लड़कों को फोन कर बुलाया गया तथा अपना कुछ समान उन्हे दे दिया गया। वादी मुकदमा द्वारा जिस दुकानदार से दिनांक 02.08.2025 को ज्वेलरी खरीदना बताया गया उस दुकानदार से पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि वादी मुकदमा द्वारा घटना से 04 दिवस पूर्व ही मंगलसूत्र की खरीददारी की गयी थी तथा

घटना के दिन किसी प्रकार की गहने की खरीददारी नही की गयी थी जबकि वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में बताया गया कि दुकानदार से जेवर खरीदकर जा रहा था कि आरोपीगण द्वारा उससे जेवर छीन लिया गया।

वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 02.08.2025 को समय 13.00 बजे घटना का होना बताया गया जबकि वादी के भाई द्वारा समय 16.00 बजे डायल 112 पर सूचना दिया गया जो कि घटना के 03 घण्टे बाद बताया गया तथा घटनास्थल पर वादी मुकदमा द्वारा अपने भाई का 03 घण्टे चोटहिल अवस्था में इंतजार करना जबकि उक्त मार्ग पर आवागमन चालू था किसी व्यक्ति के द्वारा नही देखा गया तथा वादी मुकदमा के घर की दूरी घटनास्थल से मात्र 1.5 किमी पर स्थित है जहाँ से घटनास्थल पर पहुँचने के लिए अधिकतम 10 मिनट का समय पर्याप्त है।

***अभियोग उपरोक्त की जाँच / विवेचना के उपरान्त प्रकरण झूठा पाए जाने पर वादी के विरुध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 789/2025 धारा 217 बीएनएस पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा नियमानुसार की जा रही है* ।**